न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 11 / 2016 / जैसलमेर

अपीलांट

1. मृतक सांवरियों पुत्र समेखां कायम मुकाम 1 / 1श्रीमती फूलों बेवा सांवरियों
   1 / 2अली खां पुत्र सांवरियों
   1 / 3खीली पुत्र सांवरियों पत्नी हैयातखांजाति मुसलमान निवासी भीखोडाई जूनीहाल बरसाणी तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।
   1 / 4मेवों पुत्री सांवरियों पत्नी हमीदखां जाति मुसलमान निवासी बरसाणी तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।
2. मृतक जोहदिया पुत्र समेखां कायम मुकाम2 / 1श्रीमती मरवी बेवा जोहदिया
   2 / 2हैयात पुत्र जोहदिया
   2 / 3जिन्देखां पुत्र जोहदिया
   2 / 4सतारखां पुत्र जोहदिया
   2 / 5मृतक हनीफ पुत्र जोहदिया कायम मुकाम 2 / 5 / क.मिरगां बेवा हनीफखां
   2 / 5 / ख.मसूर पुत्र हनीफखां
   2 / 5 / ग.मठार पुत्र हनीफखां
   2 / 5 / घ.गनी पुत्र हनीफखां
   2 / 5 / ड़.मोयब पुत्र हनीफखां
   2 / 6हमीदखां पुत्र जोहदिया
3. रामदीनियों पुत्र समेखां सभी जातियान मुसलमान निवासीयान भीखोडाई जूनी हाल बरसाणी तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।
4. मृतक चेलो उर्फ चनेसरखां पुत्र मगेखां कायम मुकाम:–4 / 1उम्मेदां पुत्री चेलो उर्फ चनेसरखां पत्नी रजेखां जाति मुसलमान निवासी भीखोडाई जूनी हाल सीतोडाई तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर।
5. मृतक बचियो पुत्र मगे खां कायम मुकाम 5 / 1 अलूखां पुत्र बचियों जाति मुसलमान निवासी भीखोडाई जूनी तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।
   5 / 2जन्नत पुत्र बचियों पत्नी अदरीमखां जाति मुसलमान निवासी भीखोडाई जूनी तहसील पोकरण हाल सीतोडाई तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.सखीखां उर्फ सिख्यों पुत्र हमीद जाति मुसलमान निवासी बरसाणी तहसील पोकरण जिला जैसलमेर
2.रजेखां पुत्र बच्चेखां
3.हमलखां पुत्र बच्चेखां
4.चनेखां पुत्र बच्चेखां
5.अदरीमखां पुत्र चन्देशरखां
6.न्यालखां पुत्र सीकूखां सर्वे जाति मुसलमान निवासी बरसाणी
7.दुर्गादास पुत्र श्री जेठमल जाति राठी निवासी बरसाणी तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।
8.तहसीलदार पोकरण।

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

उपस्थित

1. वकील श्री मोहम्मद अली अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बसीर मोहम्मद रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 की ओर से।

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 23 / 2016 / जैसलमेर

अपीलांट

1. रजेखां पुत्र बचेखां
2. हमलखां पुत्र बचेखां
3. चनेखां पुत्र बचेखां
4. अदरीम खां पुत्र चन्देशर खां जाति मुसलमान निवासी बरसाणी तहसील पोकरण हाल ग्राम सीतोडाई तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.सखीखां उर्फ सिख्यों पुत्र हमीदखां
2.निहालखां पुत्र सीकूखां जाति मुसलमान निवासीयान बरसाणी तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।
3.दुर्गादास पुत्र जेठमल जाति राठी निवासी बरसाणी तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।
4.तहसीलदार पोकरण जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर पोकरण के राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 130 / 2012 निर्णय दिनांक 22.06.2013 एवं प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी मय आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी।

उपस्थित

1. वकील श्री बसीर मोहम्मद अपीलान्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 25.04.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पे प्रस्तुत किया जिसके साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना–पत्र पेश कर वादी ने बताया कि वक्त सैटलमेंट खेत खसरा संख्या 246 रकबा 726.11 बीघा मौजा ग्राम भीखोडाई जूनी तहसील पोकरण जिला जैसलमेर दर्ज हुई जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के पितागण चेलो व बचीयों पुत्र मगेखां के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज हुआ। उक्त हिस्सा में प्रार्थी सखी खां उर्फ सिख्यों पुत्र हमीदखां उर्फ हमीरखां का 1/2 में 1/2 हिस्सा व चेलो बचीयों पुत्र मगेखां का 1/2 हिस्सा में 1/2 हिस्सा दर्ज हुआ था जिसकी वर्तमान खसरा संख्या 246/2 रकबा 242.05 बीघा व खसरा संख्या 246/1 रकबा 59.02 बीघा व खसरा संख्या 537/246 रकबा 91 बीघा व खसरा संख्या 548/246 रकबा 30

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

बीघा मौजा ग्राम बरसाणी राजस्व रेकर्ड में अंकित है व खसरा संख्या 537/246 रकबा 91 बीघा में 31 बीघा भूमि अदरीम खां पुत्र चेलो उर्फ चनेसर खां द्वारा बेचान किया गया था तथा शेष 60 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 6 दुर्गादास द्वारा मूल खसरा संख्या 246 के अन्य खातेदार जो पार्थी एवं अप्रार्थीगण रजेखां,हमलखां,चनेखां,अदरीमखां के 1/2 हिस्सा भूमि क अलावा जो 1/2 हिस्सा भूमि में हिस्सेदार थे उनसे उक्त भूमि खरीदी थी इस प्रकार उक्त 60 बीघा भूमि को छोड़ कर शेष भूमि 363.08 बीघा में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा भूमि है क्यों कि सम्पूर्ण खसरा संख्या 246 रकबा 736.11 बीघा में वादी का 1/4 हिस्सा भूमि थी इस प्रकार प्रार्थी सखी खां वर्तमान में अपने 1/4 हिस्सा भूमि पर काबिज काश्त है। वादी द्वारा दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र में समस्त अपीलांटस जो इस मुकदमा में उनके पूर्वज खातेदार थे जिसे दावा में स्वीकार किया गया है उनको पक्षकार नहीं कर दावा पेश किया गया और रजेखां वगैरह का जवाब लिया जाकर एकतरफा बहस सुनकर दिनांक 22.06.2013 को एकतरफा स्थगन आदेश दे दिया गया समस्त मृतकों के अपीलांटस वारिसान एवं कायम मुकाम जिन्दा है लेकिन दावा में तथ्यों को छिपा कर जानबूझकर इसमें अपीलांट आवश्यक पक्षकार होते हुए भी पक्षकार नहीं बनाया गये।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने लिखित बहस के साथ–साथ मौखिक बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र में समस्त अपीलांटस जो इस मुकदमा में उनके पूर्वज खातेदार थे जिसे दावा में स्वीकार किया गया है उनको पक्षकार नहीं कर दावा पेश किया गया और रजेखां वगैरह का जवाब लिया जाकर एकतरफा बहस सुनकर दिनांक 22.06.2013 को एकतरफा स्थगन आदेश दे दिया गया समस्त मृतकों के अपीलांटस वारिसान एवं कायम मुकाम जिन्दा है लेकिन दावा में तथ्यों को छिपा कर जानबूझकर इसमें अपीलांट आवश्यक पक्षकार होते हुए भी पक्षकार नहीं बनाया गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश से अपीलांट का हित भी प्रभावित होता है और यदि अपीलांटस को नहीं सुना गया तो अपीलांटस अपीन सुनवाई का अवसर प्राप्त करने से वंचित हो जायेंगे को उनके वैध कानूनी अधिकारों का खुल्लम–खुल्ला उल्लंघन होगा। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वकील रेस्पोडेंट संख्या 02 व 05 की ओर से अपनी लिखित एव मौखिक बहस में बताया कि उतरदाता संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने वाद में सम्पूर्ण खसरा के रकबा 726.11 बीघा में समस्त काश्तकारों को पक्षकार नहीं बनाया जाना इस तथ्य को छिपाया गया है। धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के वाद में सभी पक्षकारों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक होता है उसके बिना दावा चल नहीं सकता लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिंदु पर भी गौर नहीं किया और मनमाना आदेश दिया जो निरस्त योग्य है।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांटगण को दावा प्रस्तुत करने की कभी जानकारी या सूचना नहीं दी गई और न उन्हें कोई ज्ञान था अभी 3–4 दिन पूर्व रजेखां,हमलखां,चनेखां द्वारा इस दावे का जिक्र किया गया तब प्रथम बार अपीलांटस को इल्म हुआ कि दिनांक 22.06. 2013 को ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित जमीन का स्थगन आदेष दे दिया गया है तथा इल्म होने की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अपीलांट अधिवक्ता की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वकील अपीलांट द्वारा की गई देरी सद्भाविक है। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय में अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया था जिससे अपीलांट को निर्णय की जानकारी समय पर न हो सकी। अतः वकील अपीलांट के कथन पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित होगा। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलांटस द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी व अन्य पक्षकार को अपील की स्वीकृति बाबत धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट/वादीगण द्वारा वाद में अपीलांट को आवश्यक पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। इसलिए प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी व अन्य पक्षकार को अपील की स्वीकृति बाबत धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जावे।

अपील संख्या 11/2016 में अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 02 से 05 ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी व अन्य पक्षकार को अपील की स्वीकृति बाबत धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता सपठित धारा

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

151 सीपीसी पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांटस प्रस्तुत प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार नहीं बनाया गया तथा इस प्रकरण में अपीलांट का हक हिस्सा होने से पक्षकार बनाना आवश्यक है। अतः अपीलांट द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाये जावे।

अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे इसलिए धारा 96 के आवेदन के साथ आदेश 01 नियम 10 के तहत भी आवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से स्पष्ट होता है कि वक्त सैटलमेंट खेत खसरा संख्या 246 रकबा 726.11 बीघा मौजा ग्राम भीखोडाई जूनी तहसील पोकरण जिला जैसलमेर के सम्पूर्ण खसरा के रकबा 726.11 बीघा में समस्त काश्तकारों को पक्षकार नहीं बनाया जाकर इस तथ्य को छिपाया गया है। धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के वाद में सभी पक्षकारों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक होता है उसके बिना दावा चल नहीं सकता इस दृष्टि से अपीलांटगण प्रभावित होने से आवश्यक पक्षकार ठहरते हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय में प्रभावित पक्षकार होने के बावजूद भी उन्हे पक्षकार नहीं बनाया गया इसलिए प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी व अन्य पक्षकार को अपील की स्वीकृति बाबत धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता सपठित धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 सखी ने एक दावा अंतर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जिसमें धारा 212 के तहत अस्थाई व्यादेश बाबत भी आवेदन किया। इस वाद में रेस्पोडेंट/वादी ने वक्त सेटलमेंट की अपनी पुश्तैनी संपूर्ण भूमि ग्राम भीखोड़ाई के खसरा संख्या 246 रकबा 726.11 बीघा में दावा किया है। उसके आवेदन वाली अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट ने मूल ग्राम भीखोड़ाई से निर्मित वर्तमान ग्राम बरसानी के केवल मूल खसरा संख्या 246 रकबा 726.11 बीघा में से पृथक हुए केवल 4 खसरा के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है, शेष रही भूमि के खसरों के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। ग्राम बरसानी के उक्त चारों खसरें 246/2, 246/1, 548/246, 537/246 की जमाबंदी संवत 2065 से 2068 तक पृथक–पृथक खाते क्रमशः 130,4,69 व 56 तहरीर हो चुके है। इस लिहाज से अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 (अपीलांटगण) और प्रार्थी/रेस्पोडेंट केवल एक खसरा संख्या 246/2 रकबा 242.05 बीघा में ही सहखातेदार है। शेष अप्रार्थीगण पृथक–पृथक खाताधारक होकर पृथक–पृथक खसरों के खातेदार है। संपूर्ण भूमि के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

संबंध में कोई खुलासा नहीं किया है। यदि दावा संपूर्ण भूमि के संबंध मे है तो विभाजित हुई शेष भूमि के खसरों के खातेदारों को भी आवश्यक पक्षकार होने से दावे में पक्षकार रूप में संयोजित किया जाना आवश्यक था जो नहीं किया गया है। इसी क्रम में इसी पत्रावली के साथ पत्रावली संख्या 11/2016 फूलो बेवा सांवरिया वगेरह की अपील मय प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सी पी सी व धारा 96 सी पी सी का न्यायालय हाजा में पेश हुआ जिसे हस्तगत प्रकरण के साथ हमफीता किया गया। उक्त अपीलांट/प्रार्थियां के अपील मीमों के अवलोकन पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलांटगण भी आलोच्य आदेश वाली वादग्रस्त भूमि में दावे में अभिकथित पूर्वज खातेदारों के वंशज है परन्तु इन्हे पक्षकार नहीं बनाया है। प्रार्थी/वादी सखीखां का दावा वादग्रस्त भूमि के मूल खसरा संख्या 246 रकबा 726.11 बीघा के संबंध में है इसलिए अपीलांटगण फूलों वगैरह आवश्यक पक्षकार होने के कारण अपीलांटगण की अपील मय आवेदन–पत्र स्वीकार करने योग्य है।

लिहाजा अपील संख्या 11/2016 व 23/2016 मय आवेदन अंतर्गत धारा 96 व आदेश 01 नियम 10 स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.06.2013 सभी आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन, एकतरफा एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण अपास्त किया जाता है, साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दिये जाते है कि वह अपीलांट फूलों वगैरह को वादी सखीखां द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन वाद में प्रतिवादीगण के रूप में संयोजित कर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रस्तुत साक्ष्य/सबूत के आधार पर वाद का निस्तारण करें। अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.06.2019 को उपस्थित हो।

25/4/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 25.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25/4/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner